31

- 1 -

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मोती महल, ग्वालियर

प्रकरण कमांकः निगरानी /2011 584/I/2011

मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर, भिण्ड म0प्र0

——— आवेदक

बनाम

1— श्रीमती रमा पत्नी मुकेश

2— श्रीमती शशिकला पत्नी अशोक

3— श्रीमती कुसुम पत्नी ब्रम्हदेव दांतरे तीनो निवासी ग्राम कोहार तहसील मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0

4— सम्पत्ति नारायण पुत्र ठाकुर सिंह ग्राम सुपेला चौक भिलाई दुर्ग म0प्र0

----- अनावेदकगण

D. K. Shukla (Panel Advocate) 25/4/11

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता विरूद्व आदेश दिनांकित 10–12–10 जो अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरेना म0प्र0 द्वारा प्रकरण कमांक 150/2009–10 श्रीमती रमा आदि बनाम संपत्ति नारायण में पारित किया गया ।</u>

श्रीमान् महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1— यहकि, मेसर्स शारदा राईज एण्ड दाल मिल, भूखण्ड कमांक 8 ग्रामीण कर्मशाला, मेहगांव, जिला भिण्ड को ग्रामीण कर्मशाला मेहगांव में 30,000 वर्गफीट भूमि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड के आवंटन आदेश कमांक 5276 दिनांक 14–12–1977 से आवंटित की गई । पट्टाविलेख का निष्पादन दिनांक 16–12–1977 को राईस एवं दाल मिल की स्थापना के प्रयोजन हेतु किया गया ।

2— यहकि, महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर ने पट्टेदार को आवंटित भूखण्ड पर इकाई में उत्पादन बंद होने एवं देय भू–भाटक जमा न कराये जाने के कारण 60 दिवसीय सूचना पत्र कमांक 1071 दिनांक 25–2–1982 तथा 15 दिवसीय सूचना पत्र कमांक 3441 दिनांक 11–9–2000 को जारी किया ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 589–एक/11 | जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-12-2016.	यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 150/09–10/अपील में पारित आदेश दिनांक 10–12–2010 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा मौजा खेरिया स्थित भूखंड कमांक 8 क्षेत्रफल 30,000 वर्गफुट को नीलामी में कय किया गया, जिसका विकय विलेख श्री पी.एस. परिहार ऋण वसूली अधिकारी, जबलपुर ने उच्च नीलामी बोली दाता श्रीएस.एन.सिंह निवासी सुपैला चौका भिलाई जिला दुर्ग के हक में किया एवं श्री एस.एन.सिंह द्वारा उप पंजीयक, मेहगांव के समक्ष अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के हित में दिनांक 19–10–06 को पंजीयत कराया । विकयपत्र के आधार पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 ने तहसीलदार के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन दिया जिस पर उद्योग विभाग ने आपत्ति पेश की । तहसीलदार ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22–9–09 द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि उद्योग विभाग की भूमि नीलामी में कय करने से नामांतरण का स्वत्व नहीं है । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई जिसमें	

निगरानी 589-एक/11 (भिण्ड)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 22-9-09 द्वारा अस्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार करते हुए प्रश्नाधीन भूखंड पर अनावेदक कमांक 1लगायत 3 का नाम समान भाग पर नामांतरण किए जाने के आदेश दिए गए हैं । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूखंड मेसर्स शारदा राईज एंड दाल मिल को व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड के आवंटन आदेश दिनांक 14-12-77 द्वाराआ ावंटित किया गया था । इकाई में उत्पांदन बंद होने एवं देय भूभाटक जमा न करने के कारण मेसर्स शारदा राईज मिल को नोटिस जारी किया गया । इकाई में वर्ष 1990 से उत्पादन पूर्णतः बंद है । इकाई द्वारा लीज डीड में दी गई शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उसकी लीज निरस्त की गई जिसके विरूद्ध उसने शासन स्तर पर अपील की । जिसमें अनावेदकों द्वारा कार्य योजना परिवर्तन किए जाने का निवेदन किया गया । लीजडीड के बिंदु कमांक 19 के अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि पर उद्योग स्थापित कर निरंतर चलाना आवश्यक है । उक्त तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है । यह तर्क भी दिया गया है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में आवेदक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को पक्षकार बनाए बिना	

[redacted] XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 589–एक/11 | जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अपील प्रस्तुत की गई जबकि आवेदक हितबद्ध पक्षकार था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सुने बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो निरस्ती योग्य है । 4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । तहसील के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकयपत्र से कय किये जाने के कारण नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । प्रश्नाधीन भूमियां उद्योग विभाग की भूमियां हैं जिन्हें अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा नीलामी में किया किया गया है । उक्त आवेदन को तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है एवं तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रथम अपील में की है परंतु अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का नामांतरण किए जाने के आदेश दिए गए हैं । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने आदेश पारित करने	

-5-

निग. - 589, एक/11 क्रि.2

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के पूर्व इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि क्या उद्योग विभाग की शासकीय भूमि को नीलामी में कय किए जाने से अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 को विधिक स्वत्व प्राप्त होते हैं या नहीं । अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में आए तथ्यों पर विधिवत विचार करते हुए तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि के प्रावधानों के अनुरूप सकारण आदेश पारित करें । पक्षकारों को सूचना दी जाये एवं अभिलेख वापिस किया जाये । सदस्य	